Additional District Magistrate, Ghaziabad

Ref:-....441...../NGT OA No-909/18/2020 Dated...21.07.2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 03-03-2020 in matter of O.A. No. 909/2018 (M.A. No. 1590/2018, M.A. No. 1591/2018 & M.A. No. 245/2019) Cofederation of Trans Hindon RWA's Ghaziabad V/s. U.P. State Pollution Control Board & Ors.

Sir,

With reference to the above mentioned subject, a Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 03-03-2020 (M.A. No. 1590/2018, M.A. No. 1591/2018 & M.A. No. 245/2019) Cofederation of Trans Hindon RWA's Ghaziabad V/s. U.P. State Pollution Control Board & Ors. Factual report in compliance of Hon'ble Tribunal's orders is hereby submitted on behalf of District Magistrate, Ghaziabad for kind perusal and necessary action please.

Enclosure:As above.

Yours Sincerely

(Chandra Pal)
Addl. District Magistrate (City)
Ghaziabad

Copy to:

1- District Magistrate, Ghaziabad for information.
2- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad for necessary action.

(Chandra Pal)
Addl. District Magistrate (City)
Ghaziabad

COMPLIANCE REPORT

IN THE MATTER OF O.A NO. 909/2018

(M.A. No. 1590/2018, M.A No. 1591/2018 & M.A. No. 245/2019)

WITH

Original Application No. 954/2018

TITLED

Confederation of Trans Hindon RWA's Ghaziabad

Versus

U. P. State Pollution Control Board & Ors

(As Per Hon'ble National Green Tribunal's Order Dated 03.03.2020)

1. Background

The Hon'ble National Green Tribunal had perused the issue of non-compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016, in not collecting garbage from Indirapuram, Vasundhara and Vaishali which is being dumped at Shakti Khand, adversely affecting the air quality.

Hon'ble Tribunal had perused the report filed by UP Pollution Control Board on 28.05.2019 and 21.08.2019 and constituted the following Committee to deal with the matter:

i.	District Magistrate, Ghaziabad	Chairman
ii.	Vice-Chairman, GDA	Member
iii.	Municipal Commissioner, Ghaziabad	Member
iv.	Representative from State PCB	Member
v.	Representative from CPCB	Member

The said Committee's action taken report along with proposed Short term and Long-term action plan has been filed on 29.02.2020. Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation, personally present during Tribunal's hearing dated 03.03.2020 had submitted that Municipal Corporation shall execute the work of clearing and said legacy waste dump sites and Ghaziabad Development Authority shall deposit the amount of Rs. 4 Crores for cost involved. Further, Hon'ble Tribunal had directed that the

Municipal Corporation, Ghaziabad and Ghaziabad Development Authority to ensure clearance of legacy waste and compliance of Solid Waste Management Rules, 2016. Also, with regards to sewage treatment, Hon'ble Tribunal had directed that pending long term action, interim steps by way of phyto/bio remediation for treatment of sewage must be taken and the drains must be remedied and cleaned.

In compliance of above, status of compliance with regards to directions of Hon'ble Tribunal has been detailed hereunder.

2. Status of Compliance

In order to review compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 03.03.2020, District Magistrate, Ghaziabad convened a meeting on 22.06.2020 with Ghaziabad Development Authority, Municipal Corporation, Ghaziabad and Uttar Pradesh Pollution Control Board. Representative of Central Pollution Control Board was briefed about the meeting's proceedings via call. Minutes of meetings have been annexed as *Annexure I*.

Hon'ble Tribunal's directions were reviewed in the said meeting, compliance of same is as below :-

S.No.	Hon'ble Tribunal's Directions	Compliance Status
1	Clearance of legacy waste dump site at Indirapuram must commence within one month from today which will be responsibility of the Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad. GDA is at liberty to either take responsibility or transfer the cost to an ESCROW account. Tentative cost is assessed at Rs. 4 Crore.	Process for clearing legacy waste from concerned site shall commence once the tender is awarded. Tender for technical bids has been opened on 10.07.2020. Technical assessment of two bids received has been held. Since the expenses are being borne by GDA, the technical bids received are being examined at their level as well. Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority vide her letter dated 16.03.2020 has committed to transfer the amount of Rs.

		4 Crores in account of Ghaziabad Nagar Nigam, copy of said letter is annexed as *Annexure II*. Same has been reiterated in GDA's letter dated 10.7.2020 annexed as *Annexure III*.
2	All legacy waste dump sites may be identified within one month by the Committee already constituted namely District Magistrate, Ghaziabad, Vice-Chairman, GDA, Municipal Commissioner, Ghaziabad, Representative from State PCB and a representative from CPCB. On such identification, the legacy waste clearance may commence within one month thereafter	Besides, Shakit Khand IV site, another legacy waste site has been identified at Pratap Vihar, Ghaziabad. Estimated Municipal Solid Waste on said side is around 4 lakh MT. Presently no dumping is being done on the said site. As per Municipal Corporation, Ghaziabad, the DPR for remediation on said site has been prepared and handed over to UP Housing & Development Board, the land-owning agency for said site. Site surveys are still being done to identify other legacy waste dump sites.
3	Sewage management and remediation of drains may start within one month at least by way of phyto/bio remediation which will be the responsibility of the Municipal Commissioner, Ghaziabad. Any deficiency of funds may be made up in consultation with the Secretary, Urban Development, UP as well as Secretary, Housing and Urban Planning, UP.	Survey of drains has been done, 10 drains have been identified for treatment that outfall into River Hindon, namely: 1. Karhera Drain 2. Hindon Vihar drain 3. Kaila Bhatta Drain 4. Arthala Drain 5. Sarvodaya Nagar Drain 6. Rahul Vihar Drain 7. Indrapuran Drain 8. Dasna Drain 9. Nandgram Petrol Pump Drain 10. City Forest Main Gate Drain. In Phase – I, it is proposed to remediate 05 drains listed at S. No. DPR for same has been prepared and has been assessed by NEERI, Nagpur.

		NEERI has been appointed to assess the viability and suggest changes, if needed. Their team is proposed to carry out field survey on 22.7.2020 and 23.07.2020. Work with regards to phyto/bio remediation shall be carried out accordingly. Letter from Municipal Corporation, Ghaziabad is annexed as *Annexure IV.*
4	CPCB may recover the damage to the environment after making appropriate assessment.	CPCB's report with regards to said assessment not received.

Report is hereby submitted for your kind perusal.

(Pramod Kumar)
Addl. Municipal Commissioner
Municipal Corporation, Ghaziabad

(Santosh Rai)
Secretary
Ghaziabad Development Authority

ADM (City)
Ghaziabad

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 909/2018 Confederation of Trans Hindan RWA's Ghaziabad Applicant(s) Versus U. P. State Pollution Control Board & Ors मे पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अक्ष्यक्षता में दिनांक 22.06.2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 909/2018 Confederation of Trans Hindan RWA's Ghaziabad Applicant(s) Versus U. P. State Pollution Control Board & Ors मे मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 03.03.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये है:-

"................ 15 In view of above, we direct the Municipal Corporation, Ghaziabad and GDA to ensure clearance of legacy waste and compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, apart from ensuring treatment of sewage. Pending long term action, interim steps by way of phyto/bio remediation for treatment of sewage must be taken and the drains must be remedied and cleaned. In short, our directions are:

I. Clearance of legacy waste dump site at Indirapuram must commence within one month from today which will be responsibility of the Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad. GDA is at liberty to either take responsibility or transfer the cost to an ESCROW account. Tentative cost is assessed at Rs. 4 crore.

II. All legacy waste dump sites may be identified within one month by the Committee already constituted namely District Magistrate, Ghaziabad, Vice-Chairman, GDA, Municipal Commissioner, Ghaziabad, Representative from State PCB and a representative from CPCB. On such identification, the legacy waste clearance may commence within one month thereafter.

III. Sewage management and remediation of drains may start within one month atleast by way of phyto/bio remediation which will be the responsibility of the Municipal Commissioner, Ghaziabad. Any deficiency of funds may be made up in consultation with the Secretary, Urban Development, UP as well as Secretary, Housing and Urban Planning, UP.

IV. CPCB may recover the damage to the environment after making appropriate assessment.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2020 को जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय, गाजियाबाद मे बैठक आहुत की गयी है। बैठक मे निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहें:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद।
3. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
4. ओ0एस0डी0, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

- सर्वप्रथम जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मा0 एन0जी0टी0 दिल्ली के आदेश दिनांक 03.03.2020 मे दिये गये निर्देशों की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है:-

बिन्दु संख्या-1

इन्द्रापुरम स्थित प्रश्नगत डम्प साईट पर पड़े कूड़े को एक माह के अन्दर हटाये जाने के सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अगवत कराया गया है कि नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा उक्त कार्य को किये जाने हेतु टैंडर प्रकिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये है, जिसके खुलने की तिथि 10.07.2020 नियत की गयी है। टैंडर प्रकिया

पूर्ण होने के पश्चात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बजट कुल रु0 4.0 करोड़ को नगर निगम, गाजियाबाद मे जमा किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–2

उक्त बिन्दु मे मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा गठित समिति के माध्यम से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत सभी वेस्ट डम्प साईट को चिन्हित किये जाने एवं चिन्हीकरण के पश्चात एक माह के अन्तर्गत उक्त कूड़े का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके कम मे जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा गठित समिति के सदस्यों को जनपद गाजियाबाद मे कूड़े की समस्त डम्पिंग साईट का चिन्हीकरण दिनांक 05.07.2020 तक किये जाने के निर्देश दिये गये है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि राजनगर एक्सटैंशन गाजियाबाद मे नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण समुचित रूप से नही किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध मे अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि राजनगर एक्सटैंशन, गाजियाबाद को वर्तमान में नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तांतरित नही किया गया है एवं उक्त क्षेत्र हेतु डेवलपमेन्ट चार्ज, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिये गये है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राजनगर एक्सटैंशन क्षेत्र मे नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण की अवधि तक सुनिश्चित किया जायें।

बिन्दु संख्या–3

उक्त बिन्दु में उक्त बिन्दु मे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को सीवेज मैनेजमेन्ट नालों के रेमीडिऐशन का कार्य एक माह के अन्दर प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है। अपर नगर आयुक्त गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि वर्तमान मे शासन के निर्देशानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित निम्नलिखित कुल 10 नालों का डिस्चार्ज माप लिया गया है:–

क0 सं0	नाले का नाम	औसतन डिस्चार्ज (MLD)
1.	अर्थला ड्रेन	02
2.	सिटी फोरेस्ट ड्रेन	01
3.	डासना ड्रेन	56
4.	हिण्डन विहार ड्रेन	2.5
5.	करेहेड़ा ड्रेन	7
6.	कैला भटठा ड्रेन	18.33
7.	नन्दग्राम ड्रेन	30
8.	प्रताप विहार ड्रेन	40
9.	राहुल विहार ड्रेन	7
10.	इन्द्रापुरम ड्रेन	123

अपर नगर आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नालों के बायोरेमीडिऐशन कार्य हेतु सलाहकार की नियुक्ति नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा कर दी गयी है। लॉकडाउन के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। वर्तमान में 05 नालो की डी0पीआर0 तैयार कर तकनीकी अनुमोदन हेतु शासन स्तर पर प्रेषित की गयी है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उक्त कार्य निर्धारित समयावधि मे पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या–4

उक्त बिन्दु मे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समुचित आंकलन के पश्चात पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बसूल किये जाने के निर्देश दिये गये है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि श्रीमती दिव्या सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर एण्ड डी0एच0यू0पी0सी0–2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को बैठक मे प्रतिभाग किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु उनके द्वारा वर्तमान मे कोविड–19 के दृष्टिगत बैठक मे प्रतिभाग नही किया जा सका। बैठक में लिये गये निर्णयों एवं वस्तुस्थिति से उनको दूरभाष के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अद्योस्ताक्षरी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन आख्या एक सप्ताह मे अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांक ...211.... / एन0जी0टी0 / ओ0ए0–909 / 2018 / 20 दिनांक ...29/06/2020

..

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. अपर जिलाधिकारी, नगर, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
5. श्रीमती दिव्या सिन्हा, एडिशनल डायरेक्टर एण्ड डी0एच0यू0पी0सी0–2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

Ann. 2

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(I.S.O.9001:2015 एवं I.S.O.14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक : ... /4/ई0ई0जोन–6/2020 दिनांक 16-3-2020

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 सं0–909/2018 कन्फेडरेशन ऑफ ट्रान्स हिण्डन रेजीडेन्ट वैलफेयर एसो0 व ओ0ए0 सं0–954/2018 जंग सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0– 2955/न0आ0/2019–20 दिनांक 07.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 सं0–909/2018 कन्फेडरेशन ऑफ ट्रान्स हिण्डन रेजीडेन्ट वैलफेयर एसो0 व ओ0ए0 सं0–954/2018 जंग सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे कम में शक्तिखण्ड, इन्दिरापुरम मे कूड़ा डम्प किये जाने के सम्बन्ध मे है। मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पारित आदेशों के कम में जो कियात्मक अंश किये गये है उनके सम्बन्ध मे आपके साथ दोनो विभाग के अधिकारियो की दिनांक 12.03.2020 को बैठक हुई थी तथा जो सहमति हुई उसके कम में अवगत कराना है कि :–

1. डम्प साईट से कूड़े के निस्तारण हेतु वांछित धनराशि दिये जाने पर प्राधिकरण सहमत है।
2. डम्प साईट के निर्धारण हेतु यह सहमति हुई कि जब तक कूड़ा निस्तारण प्लान्ट कार्य करना प्रारम्भ नहीं करता है तब तक गालन्द मे नगर निगम द्वारा एक कूड़ा निस्तारण प्लान्ट लगाया जायेगा। साथ ही प्राधिकरण व नगर निगम का कूड़ा गालन्द मे ले जाने, उसे निस्तारण करने एवं कूड़ा संयत्र लगाने तथा होने वाले व्यय पर अनुपातिक रूप से हिस्सेदारी पर भी दोनो ओर से सहमति थी। सहमति के कम में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।
3. सीवेज मैनेजमेन्ट तथा ड्रेन रिमीडीऐशन के कम में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा सीवर के सम्बन्ध में आगामी 30 वर्षो का आधार लेते हुए डी0पी0आर0 शासन को धन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की जा चुकी है जिसके सम्बन्धित अभिलेख आपको अलग से प्रेषित किये जा रहे है। ड्रेन की भी आगामी 30 वर्षो के लिए रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने वाली है जिसको भी आपको शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। एन0जी0टी0 के आदेशों के कम में सीवेज मैनेजमेन्ट तथा ड्रेन रिमीडीऐशन के कार्य आपके द्वारा कराये जाने है।

मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेशो का शीघ्र कियान्वयन हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शीघ्र मीटिंग कराने का कष्ट करे।

(कंचन वर्मा) 16/3/2020
उपाध्यक्ष

RJM 13/07/2020

Am3

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः 231/4/ई.ई.जोन-6/2020 दिनांक 10/07/2020

सेवा में,

श्री उत्सव शर्मा
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियाबाद।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–909/2018 Confederation of Trans Hindan RWA,s Ghaziabad Applicant(s) Versus U.P state Pollution Control Board & Ors में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–217/एनजीटी–5/ओ0ए0नं0–909/2018/2020 दिनांक 27.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2020 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने की आपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ0ए0 सं0–909/2018 एवं ओ0ए0 सं0–954/2018 कन्फेडरेशन ऑफ ट्रान्स हिण्डन आर0डब्लू0ए0 गाजियाबाद बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के बिन्दु सं0–8 जिसमें नगर निगम गाजियाबाद को Legacy Waste डंपसाइट को निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा शक्ति खण्ड–4, इन्दिरापुरम गाजियाबाद स्थित Legacy Waste डंपसाइट को बायो–रेमीडिएशन के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु आर0एफ0पी0 आमंत्रित किये जाने की सूचना नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र सं0–809/2020–2021 दिनांक 17.06.2020 के द्वारा दी गयी है। उक्त पत्र के क्रम में कार्यालय द्वारा पत्र सं0–210/ई0ई0जोन–6/2020 दिनांक 03.07.2020 के द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को अवगत कराया जा चुका है। डंपसाइट से कूडे के निस्तारण हेतु वाछिंत धनराशि प्राधिकरण द्वारा दिये जाने की सहमति हेतु कार्यालय के पत्र सं0–564/4/ई0ई0 जोन–6/2020 दिनांक 16.03.2020 के द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को सूचित किया जा चुका है। (सुलर्भ सन्दर्भ हेतु छायाप्रतियॉ संलग्न है।)

अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986) के अधीन निर्गत अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन–2016 के बिन्दु सं0–15 के अन्तर्गत शहर के सम्पूर्ण सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जानी है। वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आधीन इन्दिरापुरम आवासीय योजना, नगर निगम गाजियाबाद को हस्तांतरित नही है। योजना के हस्तांतरण हेतु वर्ष 2011 से प्राधिकरण द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, किन्तु कतिपय कारणों से योजना का हस्तांतरण न होने के कारण वर्तमान में योजना का रख–रखाव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कूड़े को Segrigate करते हुए प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार एवं नीदरलैण्ड के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के आधार पर पी0पी0पी0 मॉडल पर हापुड जिले के गालन्द में कूड़ा एकत्रित कर तथा कूड़े का उपयोग कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट संयत्र लगाये जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप/हाइटैक सिटी के डवलपर्स के माध्यम से 35.00 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 33.108 एकड भूमि नगर निगम गाजियाबाद को हस्तांतरित की जा चुकी है, शेष भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही प्रकिया में है। प्राधिकरण द्वारा गांलन्द स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट संयत्र की स्थापना हेतु लगभग 2 कि0मी0 डबल

लेन एप्रोच रोड का निर्माण भी पूर्ण कराया जा चुका है। इस प्रकार Legacy Waste डंपसाइट के सम्बन्ध में कार्यवाही नगर निगम गाजियाबाद द्वारा की जानी आपेक्षित है।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

AK Chaudhary

(ए0के0चौधरी)

अधिशासी अभियन्ता जोन–6

पृष्ठांकन : दिनांकः– / /2020

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता को सादर अवलोकनार्थ।
4. प्रभारी विधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री गौरव अग्रवाल, एडवोकेट, ए–402 आदित्य मेगा सिटी वैभव खण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अभियन्ता जोन–6

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक: 210/ई0ई0जोन–6/2020 दिनांक 03/7/2020

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम
गाजियाबाद।

विषय :–शक्ति खण्ड–4 इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पुराने कूडे (Legacy Waste) को बायो–रेमीडिएशन के माध्यम से निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–809/2020–21 दिनांक 17.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से ओ0ए0 सं0–909/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु Request for Proposal के आंमत्रित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराने के साथ साथ उपरोक्त स्थल पर कूडा न डाले जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986) के अधीन निर्गत अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन–2016 के बिन्दु सं0–15 के अन्तर्गत शहर के सम्पूर्ण सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जानी है। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कूड़े को Segrigate करते हुए प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार एवं नीदरलैण्ड के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के आधार पर पी0पी0पी0 मॉडल पर हापुड जिले के गालन्द में कूड़ा एकत्रित कर तथा कूड़े का उपयोग कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सयत्र लगाये जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप/हाइटैक सिटी के डवलपर्स के माध्यम से 35.00 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 33.108 एकड भूमि नगर निगम गाजियाबाद को हस्तांतरित की जा चुकी है, शेष भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही प्रकिया में है। प्राधिकरण द्वारा गांलन्द स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट संयत्र की स्थापना हेतु लगभग 2 कि0मी0 डबल लेन एप्रोच रोड का निर्माण कार्य कराया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार गांलन्द स्थित स्थल या शहर के अन्य स्थल जिन पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कूडा एंकत्र करने की कार्यवाही की जा रही है/जानी है, के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।

(कंचन वर्मा)
उपाध्यक्ष

Ann 4

Ghaziabad Nagar Nigam

(An ISO 14001, 18001 & 19001 Certified Organization)

Date:

The Indrapuram dumpsite currently is under tender process for Legacy Waste treatment. The tender opened on the 10th of July for technical bids. 2 bids were received whose technical assessment was also held.
As per the directions of honorable NGT the expenses for bio- remediation at Indrapuram is to be met by GDA. So, the technical bids received are being examined by GDA.

At present the DPR for remediation of dumpsite at Pratap Vihar has been prepared and handed over to Awas Vikas.

There are 10 nallahs that flow into the Hindon River of which 5 nallahs are to be remediated. NEERI has been appointed by the Secretary, Urban Development Department as the organization to carry out inspections at these nallahs and has provided with some verifications and objections through e-mail and sought clarification. This clarification has been provided to them. NEERI has informed back that the team will arrive in Ghaziabad on the 21st of July and conduct the inspection on the 22nd and 23rd of July.

20/7/2020

Pramod Kumar
Additional Municipal Commissioner
Ghaziabad Nagar Nigam

क्र0 सं0	नालो के स्थलों का नाम
1	करहैड़ा ड्रेन।
2	हिन्डन विहार ड्रेन।
3	कैला भट्टा ड्रेन।
4	अर्थला ड्रेन।
5	सर्वोदया नगर(प्रतापविहार) ड्रेन।
6	राहुल विहार ड्रेन।
7	इन्दिरापुरम ड्रेन।
8	डासना ड्रेन(कार्बन फैक्ट्री)।
9	नन्दग्राम पैट्रोल पम्प ड्रेन।
10	सिटी फोरैस्ट मेंन गेट ड्रेन।

Re Send the Drains DPR

2 messages

Jalkal NNG <jalkal.nng@gmail.com> — Thu, Jul 2, 2020 at 2:50 PM
To: a_kapley@neeri.res.in

Sir/Mam

Pl. See the attached file

Regd

G.M.(Jal)
Nagar Nigam Ghaziabad

SKM_C224e20063014090.pdf

Atya <a_kapley@neeri.res.in> — Fri, Jul 3, 2020 at 4:38 PM
To: jalkal.nng@gmail.com
Cc: Rakesh Kumar <r_kumar@neeri.res.in>, h.bherwani@neeri.res.in, rs_dhodapkar@neeri.res.in, atyakapley@gmail.com

Dear Er BK Singh,

GM, Ghaziabad Nagar Nigham

Dear Mr Singh,

Thank you for sharing the DPR with us. After going through the document, these are my comments;

Observations:

- Of the ten drains mentioned in your email, only 5 have been covered in the attached DPR
- Domestic wastewater seems to flow only in Hindon and Rahul Vihar drains. The others have industrial wastewater too

Points for Consideration

- Bioremediation and In-situ treatment will work for domestics wastewater
- Industrial wastewater will require some pre-treatment
- We suggest that contributing industries carry out a pre-treatment at their cost before releasing the wastewater
- Bioremediation is only a topical treatment and hence, it is suggested that a more long-lasting solution be framed, for example, RENEU technology of NEERI demonstrated at Prayag Raj.

Way Forward

NEERI can take up this treatment in three phases

Phase 1: Preparation of DPR of all ten drains: <u>Time line</u>: 3 months. The proposal for DPR preparation can be shared with you next week

Phase 2: Based on DPR, drains with domestic wastewater can be taken up immediately for treatment via NEERIs technology. Timeline: Four months after work order

Phase 3: Treatment of drains having industrial discharge:

Designing treatment for these drains will be based on (i) pre-treatment quality and responsibility (industry or NEERI?) (ii) space availability (iii) profile of chemicals entering from industry.

Time line will be decided after clarification of these points.

Regards

Atya Kapley

Dr (Mrs) Atya Kapley

Head, Director's Research Cell

Senior Principal Scientist / AcSIR faculty

Environmental Biotechnology and Genomics

CSIR-NEERI

Vice President: Organization for Women in Science in the Developing World (OWSD)

Asia Pacific Region

From: jalkal.nng@gmail.com <jalkal.nng@gmail.com>
Sent: 02 July 2020 14:50
To: Atya Kapley <a_kapley@neeri.res.in>
Subject: Re Send the Drains DPR

Sir/Mam

Pl. See the attached file

Regd

G.M.(Jal)

Nagar Nigam Ghaziabad